[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 1/2018 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, तारीख 05 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.............(अ).-बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के नियम 7,19,21 और नियम 22 के अनुसरण में, माल के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनंतिम निर्धारण के लिए, शुल्क के संदाय के बिना निर्यात के लिए, कतिपय प्रयोजनों के लिए अर्ध-निर्मित माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया हेतु और कतिपय प्रक्रियाओं को करने के लिए उत्पाद शुल्कीय माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया के लिए निर्यातोन्मुखी यूनिटों /इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क /जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले (प्रतिभू /प्रतिभूति सहित) साधारण बंधपत्र को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

"प्ररुप ख -17"

निर्यातोन्मुखी यूनिटों /इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों /जैव प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा निष्पादित किए जाने वाले (प्रतिभू /प्रतिभूति सहित) साधारण बंधपत्र

1. हम..हमारा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... पर स्थित है जिसे इसमें इसे पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है और..जिन्हें हम प्रतिभू कहा गया है (इस पद में जब तक संदर्भ से या उसे अर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो, हमारे वारिस उत्तरवर्ती, निष्पादक, प्रशासक, समायक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती सम्मिलित है) भारत के राष्ट्रपति जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है के प्रति रुपए- (रुपये-) केवल" की राशि का संदाय करने के लिए अपने को संयुक्त रुप से और प्रथक्कतः वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं । हम बाध्यताधारी इस रकम का संदाय पूर्णतया और सही रुप में करने
का इस लिखत द्वारा आबद्ध करते हैं ।

2. हम बाध्यताधारियों को सरकार द्वारा भारत से बाहर निर्यात करने के लिए माल का विनिर्माण करने के लिए और/ या सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्यातोन्मुखी उपक्रम की स्थापना करने के लिए आशय पत्र संख्याँक ....तारीख.................... में दिए गए निबंधनों और शर्तों पर औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई है और बाध्यताधारियों ने उक्त निबंधनों और शर्तों को सम्यक् रुप से स्वीकार कर लिया है ।

3. और, हम बाध्यताधारियाँ को सक्षम प्राधिकारी द्वारा ....स्थित परिसर के लिए यूनिट के रूप में जी एस टी आई एन / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं. ....प्रदान की गई है जिसमें सुसंगत सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिसूचनाओं, परिपत्रों, नियमों और विनियमों के साथ साथ विदेशी व्यापार नीति के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार माल के विनिर्माण या सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क के संदाय के बिना आयातित या देश में ही प्रदभूत शूल्कीय मालों का भंडारण किया जा सके/जिसकी शर्तो को हम बाध्यताधारी स्वीकार करते हैं ।

4. और, हम बाध्यधारियों का... पर स्थित उप या सहायक सीमा-शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने समय-समय पर उपाबंध 1 में सूचीबद्ध से अनधिक मात्रा का, जो उसके कारखाने में वार्षिक तौर पर माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट रीति मे संपूर्ण शुल्क का संदाय किए बिना प्रोद्बूत करने के लिए अनुज्ञात कर दिया है ।

5. और उक्त उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बाध्यताधारियों को यथास्थिति पत्तन / विमान पत्तन / अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो या बंधपत्रित भांडागारों से शुल्क मुक्त आयातित माल को, निर्यातोन्मुखी यूनिट में निकासी के लिए अनुज्ञात कर दिया है ।

6. और उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 के नियम 19 के अधीन या यथास्थिति ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी ने बाध्यताधारियों को उक्त यूनिट से शुल्क /कर का संदाय किए बिना उक्त माल को हटाए जाने और उसे वायु, समुद्री,रेल या सड़क द्वारा विदेशी राज्यों को, शुल्क का संदाय किए बिना, निर्यात करने के लिए प्रेषण करने और जब अपेक्षित हो तब बाध्यताधारी को ऐसा करने के लिए या अन्य निर्यातोन्मुख यूनिटों/भांडागारों को उक्त भांडागारों पर उक्त माल के सम्यक रुप से पहुंचने के लिए विहित की गई शर्तों के अधीन, अनुज्ञा दे दी है ।

7. और, उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त ने मरम्मत, परिशोधन, प्रसंस्करण, परीक्षण, कार्य संकर्म या संप्रदर्शन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए शुल्क के संदाय के बिना भारत में किसी स्थान पर आयातित माल/घरेलू स्त्रोत के माल या आंशिक रुप से विनिर्मित या संशोधित माल को वहां से हटाने के लिए बाध्यताधारी को अनुज्ञा दे दी है ।

8. उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बाध्यताधारियों के अनुरोध पर उपर्युक्त बाध्यताधारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्मित माल जिसे मूल्य / विवरण / मात्रा या उसके

सबूत या उसके रासायनिक या उसकी बाबत अन्य परीक्षण या अन्यथा की पूर्ण जानकारी के अभाव में पूरा नहीँ किया जा सकता, के अनंतिम निर्धारण की अनुज्ञा दे दी है ।

9. और यथास्थिति सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या ऐसा कोई अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी जिसने बाध्यताधारियोँ से प्रतिभूति के रुप में (..................रु) का नकद बंधपत्र (प्रतिभूतियोँ जिन्हें..........................रुपए (रुपए में) की कुल रकम मेँ वर्णित किया गया है) जमा किए जाने की अपेक्षा की है और उसे भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया है और जिसे राष्ट्रपति की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षक अर्थात् ....) ने स्वीकार किया है और बाध्यताधारी से यथापूर्वोक्त वर्णित नकद / प्रतिभूति जमा करके ऐसी प्रत्याभूति दी है ।

अब उपरोल्लिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि :

1. हम बाध्यताधारी उक्त माल की बाबत सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उनके अधीन बनाए गए नियमोँ तथा विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे ।

2. हम बाध्यताधारी उक्त माल मद्धे मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व दावायोग्य सभी शुल्कोँ, भाड़े और प्रभारों का सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों /विनियमों के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से उस पर ब्याज सहित लागू दर पर संदाय करेंगे ।

3. हम बाध्यताधारी उक्त माल की बाबत सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 और उनके अधीन बनाए गए नियमोँ तथा विनियमो के उपबंधोँ के उल्लघंन के लिए अधिरोपित सभी शुल्क शास्तियां और ब्याज चुकाएंगे और उक्त माल जो भारत से बाहर निर्यात के लिए माल के उत्पादन या पैकेजिंग अथवा अनुज्ञा पत्र (एल ओ पी) की वैधता की अवधि के भीतर घरेलू उपभोग के लिए निकासी किए जाने के संबंध में लगाया/ प्रयोग में लिया जाता है, उक्त अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित न हुए माल के संबंध में तथा ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक उक्त माल के शुल्क मुक्त आयात / उपापन की तारीख से लागू दर पर ब्याज का संदाय भी करेंगे ।

4. हम बाध्यताधारी अधिकारिता वाले उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रुप में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि उक्त माल एकक में सम्यक रुप में पहुंच गया है ।

5. हम बाध्यताधारी, पूर्णतया इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अब आयात के स्थान से या विनिर्माण कारखाने या भांडागार के एकक से या को उक्त माल के अंतरण के दौरान किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी और हम बाध्यताधारी चोरी गए माल, यदि कोई हो, की बाबत शुल्क का संदाय करेंगे ।

6. हम बाध्यताधारी ऐसी सभी शर्तों का पालन और अनुपालन करेंगे जो यथास्थिति, समुचित अधिकारी, उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा जिन्हें विनिर्माण /उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए अधिरोपित की जाए ।

7. हम बाध्यताधारी सभी आयातित और देशी माल, जिसका विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रचालनों में उपयोग किया जाता है जिसमें स्टाक में शेष बच रहा तथा हमारी बाध्यता के अधीन बाहर भेजा गया माल भी है उचित प्ररुप /डिजिटल प्ररुप में एक विस्तृत लेखा बनाए रखेंगे जैसा विहित किया जाए, और ऐसे लेखा को, यथास्थिति, समुचित अधिकारी उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या ऐसे प्रत्यायोजित प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए, जब भी उसके द्वारा निदेश दिया जाता है , प्रस्तुत करेंगे ।

8. हम बाध्यताधारी सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं, जिसेक अधीन विनिर्दिष्ट माल आयात किया गया है /का स्त्रोत है, साथ ही आयात-निर्यात नीति के अधीन अनुबंधित निर्यात बाध्यताओं तथा शर्तों को पूरा करेंगे और ऐसे माल पर निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण में जिनका उपयोग किया गया है और जो उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रुप में साबित नहीं है, मांग करने पर उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर राशि का संदाय करेंगे तथा यथास्थिति सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का भी संदाय करेंगे ।

9. हम बाध्यताधारी, सभी शोध्य चुकाएंगे चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या विधिपूर्ण प्रभार हो, जो हमारे द्वारा शुल्क का संदाय किए बिना प्राप्त किए गए माल मांग योग्य हो जिनका विशेष औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र और उपाप्त किए गए स्थान से हमारे परिसर में जिनका परिवहन कियागया है तथा जिनका केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2017 के नियम 7 के अधीन अंतरिम आधार पर निर्धारण हुआ है यथास्थिति, समुचित अधिकारी या उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण किए जाने के पश्चात् ऐसे अधिकारियों द्वारा सभी शोध्यों का उसकी लिखित मांग किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर संदाय होंगे ।

10. हम बाध्यताधारी, यदि हमें, इस प्रकार विनिर्मित वस्तुओं का , ऐसी मात्रा में और ऐसी अन्य सीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जो महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, भारत में विक्रय /आपूर्ति किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन ऐसी वस्तुओँ पर अद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय करेंगे, या सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार ऐसे माल में प्रयुक्त इनपुट पर छूट के रुप में प्राप्त सीमा शुल्क के माल पर उत्पाद शुल्क का संदाय करेंगे ।

11. हम बाध्यताधारी उक्त विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अनुसरण में विनिर्मित ऐसी वस्तुओँ का जिसमें कच्ची सामग्री और संघटक पुर्जों का उपयोग किया गया है, भारत में विक्रय किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उस पर उद्ग्रहनीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय करेंगे ।

12. हम बाध्यताधारी, नीति में या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भारत में आयातित या देशी स्त्रोत माल के या उससे विनिर्मित या पैक की गई वस्तुओं के परीक्षण, मरम्मत पुनर्नुकूलन, प्रसंस्करण या संप्रदर्श आदि के लिए शुल्क का बिना संदाय किए अस्थायी रुप के उपक्रम से बाहर ले जाने की अनुज्ञा देते हए उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा जो शर्त और सीमाएं अनुबंद्ध की जाएंगी उसका अनुपालन करेंगे ।

13. हम बाध्यताधारियोँ पर स्थित उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के सिवाय उस नाम और स्टाइल को जिसके अधीन हम बाध्यताधारी कारबार कर रहे हैँ में परिवर्तन या विनिर्माण परिसर स्थान को परिवर्तित नहीं करेंगे ।

यदि हम सभी हम बाध्यताधारियोँ द्वारा ऊपर पत्येक और हर एक शर्तों का अनुपालन कर दिया जाता है तो ऊपरलिखित बंधपत्र शून्य होगा और उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा ।

अन्यथा वह पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी तथा तथ्यमुक्त रहेगा ।

अतः हम सभी बाध्यताधारियों और सरकार द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है।

1. माल के किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या उक्त माल के किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हटाए जाने पर भी उपरोक्त बंधपत्र का प्रवृत्त रहना जारी रहेगा ।

2. उपरोक्त लेखबद्ध बंधपत्र, ऐसे कार्य के अनुपालन के लिए दिया गया है जिनमें जनता का हित हो ।

3. सरकार, सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से बाधतयताधारी से शोध्य राशि सीमा-शुल्क अधिनियम ,

1962 की धारा 142 की उपधारा (1) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क की उपधारा (1) में अथिकथित रीति से वसूल करेगी ।

परंतु सर्वदा यह कि इसके अधीन प्रतिभू का दायित्व सरकार तत्समय की मंजूरी या किसी प्रति रीति कार्य का लोप के कारण (चाहे वह प्रतिभू की जानकारी में हो या नहीं होया उसकी सहमति से हो) बाध्यताधारी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के उन्मोचन की बाबत या उसके संबंध में कोई कमी नहीं आएगी या वह उन्मोचित नहीं होगा और न तो इसके अधीन की रकम के लिए प्रतिभूति के विरुद्ध वाद लाए जाने से बुर्कदबाध्यताधारी (यों) पर वाद लाया जाना आवश्यक होगा ।

भारत के राष्ट्रपति,अपने विकल्प पर सभी हानि तथा नुकसानियों को प्रतिभूति निक्षेप की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन उसके अधिकारों के पृष्ठांकन द्वारा या दोनो से पूरा करने में सक्षम होगें ।

मैं /हम यह और घोषणा करता हूं /करते हैं कि यह बंधपत्र /केन्द्रीय सरकार के कार्यवाई के अनुशासन में दिए गए आदेशों के अधीन किया जा रहा है, जो लोकहित में है ।

इन विलेखों में जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा अपेक्षित है एक वचन में बहुवचन और उसका विपर्यय भी होगा ।

इन विलेखों के साक्ष्य स्वरुप इनमें लिखी तारीख - 20 - को बाध्यताधारी और प्रतिभूतियों ने हस्ताक्षर किए –

बाध्यताकारी(यों) के हस्ताक्षर
नाम और निवास का पता

स्थान :

तारीख:

गवाह : (1) पता (1) उपजीविका

(2) पता (2) उपजीविका

प्रतिभूति (यों) के हस्ताक्षर
नाम और निवास का पता

गवाह : (1) पता (1) उपजीविका

(2) पता (2) उपजीविका

हस्ताक्षर और तारीख

नाम.............................

पदाभिधान...................

भारत के राष्ट्रपत के लए और उनकी ओर से तारीख – 20 – को प्राप्त किया गया ।

हस्ताक्षर और तारीख

नाम.............................

पदाभिधान.....................

उपाबंध-1

माल की वार्षिक अपेक्षा

क्रम सं.	माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य	शुल्क दर	शुल्क रकम	टिप्पणी

[फा. सं. डीजीईपी/ईओयू/40/2017]

(दिनेश कुमार गुप्ता)

निदेशक, भारत सरकार